उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 23.06.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई पुलिस टीम ने 01 किलो 250 ग्राम
अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 रामकिशन यादव के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर एक नफर अभियुक्त शेख साकिर पुत्र स्व शेख अनीश उम्री 26 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा को कलसा पहाड की पानी की टंकी के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद हुआ, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 171/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 रामकिशन यादव
2. हे0का0 रामकरन
3. का0 अंकुश पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

शेख साकिर पुत्र स्व शेख अनीश उम्री 26 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्तिः-

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 250 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद होना ।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 23.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता/भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सम्बन्ध में थाना/पुलिस कार्यालय में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 23.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने वाली नवीन आपराधिक विधियों यथा भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य़ अधिनियम-2023 व नवीन अन्य अधिनियमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण व विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम की अध्यक्षता में प्रोजेक्टर के माध्यम से श्री अशोक कुमार शुक्ल, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी महोबा, श्री कृष्णपाल अभियोजन अधिकारी महोबा एंव श्री प्रमोद पालीवाल, विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट जनपद महोबा के द्वारा संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का जनपद के थाना/पुलिस कार्यालय में नियुक्त निरीक्षक/उपनिरीक्षकों/विवेचकगणों/कोर्ट मुहर्रिर को एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।